पटना के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 651/2019

उत्पन्न थाना कांड सं.- 361, वर्ष - 2017 थाना- मुंगेर परिवाद वाद

जिला - मुंगेर

==========

1. कंपनी राम उर्फ़ तिरन राम पुत्र दरोगी राम पुत्र गाँव-भागीचक, पोस्ट आफिस-जमालपुर, पुलिस थाना -नया राम नगर, जिला-मुंगेर
2. राम कुमारी देवी उर्फ़ राज कुमारी देवी पत्नी कंपनी राम उर्फ़ शतिरन निवासी गाँव-भागीचक, पी. ओ.-जमालपुर, पुलिस थाना -नया राम नगर, जिला-मुंगेर
3. सागर कुमार पुत्र कंपनी राम उर्फ़ तिरन राम पुत्र गाँव-भागीचक, पोस्ट आफिस-जमालपुर, पुलिस थाना -नया राम नगर, जिला-मुंगेर
4. रिया देवी उर्फ़ रीना देवी पुत्री कंपनी राम उर्फ़ तिरन राम निवासी गाँव-भागीचक, पोस्ट आफिस -जमालपुर, पुलिस थाना -नया राम नगर, जिला-मुंगेर
5. मुन्नी देवी पत्नी सदा नंद राम निवासी गाँव-ओडा बागीचा, पोस्ट आफिस-धारहरा, पुलिस थाना -धारहरा, जिला-मुंगेर
6. सदा नंद राम पुत्र लखन राम पुत्र गाँव-ओडा बागीचा, पोस्ट आफिस -धारहरा, पुलिस थाना- धारहरा, जिला-मुंगेर

.... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. पूजा कुमारी पति स्वर्गीय सौरभ कुमार पुत्र गाँव-भागीचक, पुलिस थाना -नया राम नगर, जिला-मुंगेर, वर्तमान में प्रमोद राम की बेटी उर्फ़ मोती राम, स्वर्गीय सौरभ कुमार की पत्नी, गाँव-संसार पोखर, पचना-रोड, गांधी टोला, पुलिस थाना-कबैया (टाउन थाना), जिला-लखीसराय

.... उत्तरदाता

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री शशि सौरभ, अधिवक्ता

सुश्री पूजा कुमारी, अधिवक्ता

राज्य की अधिवक्ता : श्री मोहम्मद आरिफ, सहायक लोक अभियोजक

विरोधी पक्ष संख्या-2 के लिए : श्री राहुल कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

==========

दंड प्रक्रिया संहिता --- धारा 125 --- हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 --- धारा 19 --- ससुर का अपनी विधवा पुत्रवधू का भरण-पोषण करने का दायित्व --- विद्वान निचली अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका जिसमें परिवादी के ससुर और सास को उसे भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था --- याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क कि ससुर अपनी विधवा पुत्रवधू को भरण-पोषण देने के लिए तभी उत्तरदायी है जब उसके पास सहदायिक संपत्ति से ऐसा करने का साधन हो।

निष्कर्ष: पति के जीवनकाल में कोई भी अन्य पारिवारिक सदस्य उसकी पत्नी का भरण-पोषण करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि, बेटे की मृत्यु के बाद विधवा पुत्रवधू अपने ससुर से भरण-पोषण पाने की हकदार है --- ससुर का दायित्व पूर्ण नहीं है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है यदि ससुर के पास अपने कब्जे में किसी सह-दायिक संपत्ति से ऐसा करने का साधन नहीं है जिसमें से पुत्रवधू ने कोई हिस्सा प्राप्त नहीं किया है और ऐसा कोई भी दायित्व पुत्रवधू के पुनर्विवाह पर समाप्त हो जाएगा --- संयुक्त परिवार के लिए एक आवासीय घर को छोड़कर कोई सह-दायिक संपत्ति नहीं है जहां शिकायतकर्ता रहने के लिए स्वतंत्र है --- ससुर सिर्फ एक पेंशनभोगी है और उसके पास अपनी पुत्रवधू को भरण-पोषण करने के लिए कोई अतिरिक्त साधन नहीं है --- विधवा पुत्रवधू के भरण-पोषण का दायित्व केवल ससुर पर है, सास पर नहीं --- विद्वान सत्र न्यायालय ने गलती से ससुर और सास दोनों को अपनी विधवा पुत्रवधू को भरण-पोषण देने का निर्देश दिया --- विवादित आदेश को रद्द किया गया --- मामला 15 जून 2014 को ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा गया नये सिरे से विचार---पुनरीक्षण याचिका का निपटारा। ***(पैरा- 5, 11-14)***

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार का

मौखिक निर्णय

तारीख: 20-01-2025

वर्तमान पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा 2017 की आपराधिक अपील संख्या-21 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II, मुंगेर द्वारा पारित दिनांक 25.02.2019 के अक्षेपित आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायालय ने परिवादी के ससुर और सास को उसे गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया है।

2. अभिलेखों से परिलक्षित मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि विरोधी पक्ष संख्या -2 / परिवादी ने अपने पति, सास-ससुर के साथ-साथ परिवादी के अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ सुरक्षा आदेश, निवास आदेश के साथ-साथ भरण पोषण आदेश पारित करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत, 2017 की परिवाद संख्या 361 (सी) के साथ अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संख्या- iv, मुंगेर के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। इसके बाद, विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दिनांकित 07.09.2017 को आदेश पारित किया है जिसके तहत सभी विरोधी पक्षों को परिवादी को निवास प्रदान करने और भरण पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। उन सभी के खिलाफ संरक्षण आदेश भी विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित किया गया था। विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के उक्त आदेश को, 2017 की आपराधिक अपील संख्या- 21 में विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष अक्षेपित किया गया था। इस अपील के लंबित रहने के दौरान परिवादी के पति सौरभ कुमार की मृत्यु हो गई। अक्षेपित अंतिम अपीलीय आदेश द्वारा, विद्वत सत्र न्यायालय ने विद्वत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित दिनांकित 25.02.2019 के आदेश

को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परिवादी के पति की मृत्यु हो गई है, आदेश को संशोधित करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि बहु / परिवादी को सास-ससुर दोनों भरण पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए, उन्होंने उन्हें भरण पोषण के लिए रुपये 5,000.00 प्रतिमाह का भुगतान करने का निर्देश दिया। परिवादी के पक्ष में पारित निवास और सुरक्षा आदेश के संबंध में कोई संशोधन नहीं किया गया था। अक्षेपित आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता परिवादी के सास-ससुर और अन्य रिश्तेदार हैं।

3. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए अतिरिक्त लोक सहायक अभियोजक और विरोधी पक्ष संख्या -2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित सुरक्षा और निवास आदेश के बारे में कोई शिकायत नहीं है, हालाँकि, उन्हें उनके खिलाफ पारित भरण पोषण आदेश पर गंभीर आपत्ति है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि पति के जीवनकाल के दौरान, पति का कोई भी रिश्तेदार अपनी पत्नी का पालन-पोषण करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। वह आगे निवेदन करते हैं कि विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के समय, पति जीवित था, और इसलिए, परिवादी के सास-ससुर और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ कोई भरण पोषण आदेश पारित करने का कोई सवाल ही नहीं था और इसलिए, आदेश को रद्द किया जा सकता है।

5. वह आगे निवेदन करते हैं कि अपील के लंबित रहने के दौरान, परिवादी के पति की मृत्यु हो गई और उसके बाद, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 के तहत अपनी बहू के भरण पोषण का दायित्व ससुर का है। हालांकि, ससुर का ऐसा दायित्व सीमित है। वह केवल तभी भरण पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जब

उसके पास संयुक्त संपत्ति से ऐसा करने का साधन हो। इसके अलावा, एक संयुक्त आवासीय घर के अलावा, कोई सह-स्थायी संपत्ति नहीं है। वह स्वयं एक पेंशनभोगी हैं और मुश्किल से अपना और अपनी पत्नी का भरण-पोषण कर सकते हैं।

6. हालांकि, राज्य के लिए विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने यह कहते हुए अक्षेपित आदेश का बचाव किया कि इसमें कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है। इसलिए यह याचिका खारिज की जाए।

7. विरोधी पक्ष संख्या -2 के लिए विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि वह वर्तमान में अपने माता-पिता के घर पर रह रही है और संयुक्त परिवार का कोई विभाजन नहीं हुआ है और अन्य संयुक्त पारिवारिक संपत्ति भी है और उसके पास खुद के रख रखाव का कोई साधन नहीं है। इसलिए, बहू अपने ससुर से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है।

8. मैं दोनों पक्षों के दलीलों और रिकॉर्ड पर देखी गई सामग्री पर विचार करता हूँ।

9. मैं याचिकाकर्ताओं के विद्वान अदिधिवक्ता की दलीलों से सहमत हूं कि पति के जीवनकाल के दौरान परिवार का कोई अन्य सदस्य दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत या हिंदू कानून के तहत अपनी पत्नी का पालन-पोषण करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि, बेटे की मृत्यु के विधवा बहू हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 के तहत अपने ससुर से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है जो इस प्रकार है:

> "19. विधवा बहू का भरण पोषण:–
>
> (1) एक हिंदू पत्नी, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में विवाहित हो, अपने पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर द्वारा बनाए रखने की हकदार होगी, बशर्ते कि वह अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है या जहां उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं है, वह भरण-पोषण प्राप्त करने में

असमर्थ है-(ए) अपने पति या अपने पिता या मां की संपत्ति से, या (बी) अपने बेटे या बेटी, यदि कोई हो, या अपनी संपत्ति से।

(2) उप-धारा (1) के तहत कोई भी दायित्व तब लागू नहीं होगा जब ससुर के पास कब्जे वाली किसी संयुक्त संपत्ति, जिसमें बहू ने कोई हिस्सा प्राप्त नहीं किया है से ऐसा करने का साधन नहीं है, और बहू के पुनर्विवाह पर ऐसा कोई दायित्व समाप्त हो जाएगा।

(जोर दिया गया)

10. हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 19(1) के वैधानिक प्रावधानों को सामान्यतः पढ़ने से यह पता चलता है कि वह अपने ससुर से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैः

(i) वह अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

(ii) जहाँ उसकी अपनी कोई संपत्ति नहीं है,

(iii) वह अपने पति या अपने पिता या माता की संपत्ति या अपने बेटे बेटी, यदि कोई हो, या उसकी संपत्ति से भरण-पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है।

11. धारा 19 (2) में आगे प्रावधान किया गया है कि धारा 19 (1) के तहत ससुर का दायित्व लागू करने योग्य नहीं है, अगर ससुर के पास अपने कब्जे में किसी भी सह संपत्ति से ऐसा करने का साधन नहीं है, जिसमें बहू ने कोई हिस्सा प्राप्त नहीं किया है और बहू के पुनर्विवाह पर ऐसा कोई दायित्व समाप्त हो जाएगा।

12. इसलिए, धारा 19 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अपनी बहू के रख-रखाव के लिए ससुर का दायित्व संयुक्त संपत्ति से आय, यदि कोई हो, पर निर्भर है। लेकिन याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि ऐसी कोई संयुक्त संपत्ति नहीं है। संयुक्त परिवार के पास केवल एक आवासीय घर है जहाँ परिवादी रहने के लिए स्वतंत्र है। वह यह भी निवेदन करते है कि ससुर सिर्फ एक पेंशनभोगी है और उसके पास अपनी बहू को बनाए रखने के लिए कोई अतिरिक्त साधन नहीं है। इसके अलावा, सास की अपनी बहू

के भरण पोषण की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसलिए, अक्षेपित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

13. मैंने विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के साथ-साथ विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित अक्षेपित आदेश का अवलोकन किया। मैंने पाया कि कानून और तथ्यों पर चर्चा किए बिना, विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पति, दोनों सास-ससुर और अन्य रिश्तेदारों सहित सभी उत्तरदाताओं के खिलाफ भरण पोषण आदेश पारित किया है। ऐसा आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं हो सकता था। केवल पति को कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन, अधिक से अधिक भरण पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता था।

14. इसके अलावा, यहां तक कि विद्वान सत्र न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि ससुर और सास दोनों अपनी बहू का भरण-पोषण करने के लिए उत्तरदायी हैं। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा के तहत, विधवा बहू को बनाए रखने का दायित्व केवल ससुर पर है, सास पर नहीं। लेकिन, मामले में, विद्वान सत्र न्यायालय ने ससुर और सास दोनों को अपनी विधवा बहू को भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यहां तक कि ससुर का दायित्व भी पूर्ण नहीं है। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 19 के तहत ससुर पर निर्धारित कुछ शर्तों को इस तरह के दायित्व को तय करने से पहले पूरा करना आवश्यक है। लेकिन, विद्वान सत्र न्यायालय ने अक्षेपित आदेश पारित करने से पहले इस तरह के प्रासंगिक कानून और तथ्यों पर चर्चा नहीं की है।

15. इसलिए, विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित अक्षेपित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

16. तदनुसार, निचली न्यायालयों द्वारा पारित अक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है परिवादी ससुर से पात्रता के संबंध में मामले पर नए सिरे से परिवादी /बहू और ससुर/याचिकाकर्ता दोनों पक्षों से प्रासंगिक तथ्यों और साक्ष्य को अभिलेख पर लेने के पश्चात विचार करने के लिए विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुंगेर को भेजा जाता है।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि सुरक्षा आदेश के साथ-साथ विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पारित निवास आदेश को बाधित नहीं किया जाता है। परिवादी परिवार के संयुक्त निवास में रहने के लिए स्वतंत्र है।

18. तदनुसार वर्तमान पुनरीक्षण याचिका का उपर्युक्त शर्तों के साथ निस्पदन किया जाता है।

19. कार्यालय को बिना किसी देरी के निचली अदालत में निम्न न्यायालय के अभिलेख को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

चंदन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।